राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)

कमरा नम्बर 411, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141–2220278

क्रमांकः एफ1(A)(184)स्था./राईस/साक्षात्कार/2015/3687 दिनांक 29/2/16

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा विभाग
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः– "राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958" के नियम 17 CCA के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ किये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आदेश क्रमांक शिविरा–मा/ संस्था/एफ–3/ 13407 /आवासीय विद्यालय/राईस/प्रतिनियु./2015/61 दिनांक 03.07.2015 एवं 13. 04.2015 द्वारा राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति की जाने के फलस्वरूप भी परिशिष्ठ "अ" पर अंकित कार्मिकों द्वारा कार्यग्रहण नही किया गया है। उक्त वर्णित कार्मिकों का यह कृत्य अनुशासनहीनता का परिचायक है। अतः इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु "राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958" के नियम 17CCA के अन्तर्गत प्रस्तावित आरोप पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। संबंधित कार्मिकों को आरोप पत्र जारी करने का श्रम करे।

संलग्नः– 1. "राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958" के नियम 17CCA के अन्तर्गत प्रस्तावित आरोप पत्र
2. कार्यग्रहण नही करने वाले कार्मिकों की सूची। (परिशिष्ठ "अ")

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
एवं सचिव राईस

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा नम्बर 411, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141–2220278

राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश किये जाने के फलस्वरूप भी संबंधित आवासीय विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नही करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध "राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958" के नियम 17CCA के अन्तर्गत प्रस्तावित आरोप पत्र

राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई। जिसके अनुक्रम में, परिशिष्ट "अ" पर अंकित कार्मिकों द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु राईस कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्मिकों को आवेदित प्रतिनियुक्ति पद पर चयन हेतु राईस द्वारा आयोजित साक्षात्कार में चयन कर राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त सूची माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर को प्रेषित की गई। राज्य सरकार की अनुमति पश्चात निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। लेकिन संबंधित कार्मिकों द्वारा कार्यग्रहण नही कर राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना की गई है।

प्रस्तावित आरोप संख्या

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–3 /13407/आवासीय विद्यालय/राईस/प्रतिनियु./2015/61 दिनांक 13.04.2015 एवं आदेश क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/एफ–3/13407/राईस/प्रतिनियु./2015 दिनांक 03.07.2015 एवं 26.11.2015 तथा दिनांक 26.11.2015 द्वारा परिशिष्ट "अ" पर अंकित संबंधित कार्मिकों की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति की गई थी लेकिन संबंधित कर्मिकों द्वारा कार्यग्रहण न कर उक्त आदेशों की पालना नही की गई है। उक्त प्रक्रिया में राज्य सरकार को श्रम एवं वित्त की हानि हुई है।
2. आप द्वारा आज दिनांक तक भी कार्यग्रहण नही किया है जिसकी वजह से संबंधित आवासीय विद्यालय में शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। प्रतिनियुक्ति आदेश जारी होने के उपरान्त भी अभी तक कार्यग्रहण नही करना राजकार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का घोतक है। अतः क्यों न आप के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
एवं सचिव राईस

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)

कमरा नम्बर 411, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141–2220278

कार्यभार ग्रहण नही करने वाले कार्मिकों की सूची।

क्र. स.	कार्मिक का नाम	वर्तमान में धारित मूल पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति हेतु पदस्थापन आवासीय विद्यालय	प्रतिनियुक्ति हेतु पद	माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश
1	श्री तेजबहादुर सिंह चूण्डावत	अध्यापक (तृतीय श्रेणी)	रा.मा.वि. इन्दौडा,आसपुर जिला डुंगरपुर	डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय खेडाआसपुर (डूंगरपुर)	व्याख्याता (हिन्दी)	13.04.2015
2	श्री कुणाल बाली	वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)	आसलपुर बकानी, झालावाड	निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय धनवाडा (झालावाड)	वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)	13.04.2015
3	श्री चतुर्भुज वर्मा	प्र.अ. (व.अ.)	राज.उ.प्रा.वि. नारहेडा, मनोहर थाना, झालावाड	निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय धनवाडा (झालावाड)	वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत)	13.04.2015
4	विष्णु कुमार एकोत	व.अध्यापक (अंग्रेजी)	आ.रा.उ.मा.वि. घाटा का गांव, डूंगरपुर	राजकीय आवासीय विद्यालय सागवाडा (डूंगरपुर)	व्याख्याता (अंग्रेजी)	03.07.2015
5	हेमन्त कुमार भट्ट	व.अ. (अंग्रेजी)	रा.मा.वि. काहेला, डूंगरपुर	राजकीय आवासीय विद्यालय सागवाडा (डूंगरपुर)	व्याख्याता (इतिहास)	03.07.2015
6	नन्दलाल शर्मा	वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत	रामावि लहन, टोंक	राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय वजीरपुरा, टोंक	वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत	26.11.15
7	कुसुम शर्मा	वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी	राउमावि कुहाडा खुर्द, टोंक	देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय युसूफपुरा, टोंक	व्याख्याता (हिन्दी)	26.11.15

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
एवं सचिव राईस